



F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1120 का नवीकरण/ Renewal of Type Approval No.1120

**विषय/Sub: फ्यूजिंग यूनिट (आर्मिंग यूनिट), पार्ट सं. एम ई-एफयू-002/
Fuzing Unit (Arming Unit), Part No. ME – FU – 002**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स एमईसी इंजिनर्स, 23, बृंदावन ले आउट, कावल बैरसंद्रा, बेंगलूरु - 560 032 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "फ्यूजिंग यूनिट (आर्मिंग यूनिट)" पार्ट सं. एम ई-एफ यू-002, को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1120, दिनांक 04 मार्च 2005 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1120 जारी किया गया था। संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1120/1आर दिनांक 17 फरवरी 2010 द्वारा संशोधन सहित नवीकरण किया गया था, जो कि 31 दिसंबर 2014 तक वैध था जिसमें संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1120/4ए/1आर, दिनांक 26 अगस्त 2014 द्वारा संशोधन जारी किया गया था।

This is to state that the "Fuzing Unit (Arming Unit)" bearing the Part No. ME – FU – 002, designed, developed and manufactured by M/s. MEC Engineers, 23, Brindavan Layout, Kaval Byrasandra,, Bengaluru – 560 032 has been issued with TA No. 1120 vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1120, dated: 04th March 2005. Amendment cum Renewal issued vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1120/1R, dated: 17th Feb 2010 which was valid upto 31st Dec 2014 and Amendment issued vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1120/4A/1R, dated: 26th August 2014.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अप्रैल 2015 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा यह 30 जून 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए, उत्पादित मात्रा एवं अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (वायुयान), सेमिलैक, मारत्तहल्ली पी.ओ, बेंगलूरु - 560037, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र की अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st April 2015 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 30th June 2020 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Marathahalli P.O., Bengaluru-560 037, three months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any and its cause. All other terms & conditions stipulated in the type approval letter remain unaltered.

सं./No.:सेमिलैक/CEMILAC/5070/टीए/TA-1120/2R

दिनांक/Date : 07 April 2015

फैक्स सं./Fax No: 080-5230856

पी जयपाल / P.JAYAPAL

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)